

दिनांक 07 फरवरी, 2024 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित सीपज़ सेज़ की अनुमोदन समिति की 183वीं बैठक का कार्यवृत्त	MINUTES OF 183 <sup>rd</sup> MEETING OF THE APPROVAL COMMITTEE FOR SEEPZ SEZ HELD UNDER THE CHAIRMANSHIP OF DEVELOPMENT COMMISSIONER ON 07 <sup>th</sup> FEBRUARY, 2024.
--	--

सेज़ का नाम	Name of the SEZ
बैठक संख्या	183 वीं
दिनांक	07.02.2024
उपस्थित सदस्यों के नाम:	Members Present

क्रमांक Sr. No.	सदस्यों का नाम Name of Members	पदनाम Designation	संस्था Organization
1.	श्री. सी. पी. एस. चौहान Shri. C. P. S. Chauhan	संयुक्त विकास आयुक्त, Jt. Development Commissioner	SEEPZ-SEZ.
2	श्री. लीडर पणिकर Shri. Leider Panicker	संयुक्त आयुक्त आयकर Joint Commissioner Income Tax	आयकर कार्यालय, मुंबई के नामिती Nominee of Income Tax office, 1
3	श्री. हिमांशु धर पांडे Shri. Himanshu Dhar Pandey	उप निदेशक डीजीएफटी Deputy Director DGFT	डीजीएफटी के अतिरिक्त नामांकित व्यक्ति, : ई। Nominee of the Addl. DGFT, M
4	श्रीमती कीर्ति देशमुख Smt. Kirti Deshmukh	उप निदेशक उद्योग Deputy Director Industries	उद्योग विकास आयुक्त, जीओएम, मुंबई के ना Nominee of Development Comr f Industries, GoM, Mumbai
5	श्रीमती सुनीता जगताप Smt. Sunita Jagtap	अधीक्षक सीमा शुल्क Superintendent of Customs	सीमा शुल्क आयुक्त, जनरल, एयर कार्गो, सा Nominee of Commissioner of C eneral, Air Cargo, Sahar.

विशेष आमंत्रित सदस्य :	Special Invitee:-
श्री. अनिल चौधरी	Shri. Anil Chaudhary
विनिर्दिष्ट अधिकारी सीपज़-सेज़	Specified Officer, SEEPZ-SEZ

F  
24

<p>श्री हनीश राठी, सहायक विकास आयुक्त (सीपज़-सेज़), श्री मनीष कुमार, सहायक विकास आयुक्त (न्यू-सेज़), श्रीमती रेखा नायर, सहायक विकास आयुक्त, श्री जीएस भंडारी, सहायक, श्री रवींद्र कुमार, सहायक, सुश्री दिव्यांशी गोयल अवर श्रेणी लिपिक, श्री अशोक मीना, अवर श्रेणी लिपिक और श्री जगदीश गौड़, अवर श्रेणी लिपिक भी बैठक में सहायता और सुचारु संचालन के लिए उपस्थित थे।</p>	<p>Shri. Hanish Rathi, ADC (SEEPZ-SEZ), Shri. Manish Kumar, ADC (New-SEZ), Smt. Rekha Nair, ADC, Shri. GS Bhandari, Assistant, Shri. Ravindra Kumar, Assistant, Mrs. Divyanshi Goyal LDC, Shri. Ashok Meena LDC and Shri. Jagdish Gaur, LDC also attended for assistance and smooth functioning of the meeting.</p>
--	---

**कार्यसूची मद सं. 01:** 20.12.2023 को आयोजित 182<sup>वीं</sup> बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

**Agenda Item No. 01:** Confirmation of the Minutes of the 182<sup>nd</sup> Meeting held on 20.12.2023.

**निर्णय:** दिनांक 20.12.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

**Decision:** The Minutes of the meeting held on 20.12.2023 were confirmed with consensus.

**कार्यसूची मद सं. 02:** मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II से मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट I और II में बिजनेस ट्रांसफर समझौते के कारण निर्देशकों और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के साथ उद्यमिता में बदलाव के लिए आवेदन

**Agenda Item No. 02 :** Application for Change of Entrepreneurship on account of Business Transfer Agreement from M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit - I & II into M/s. Creation Gems & Jewellery Private Limited Unit I & Unit - II with Change in the Directors and shareholding pattern.

*[Handwritten Signature]*

यूनिट ने उद्यमिता में बदलाव और मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II की संपत्तियों और देनदारियों को मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट I और यूनिट - II में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने सूचित किया है कि क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (अंतरणकर्ता) ने क्रिएशन ज्वेलरी का विस्तार करने के उद्देश्य से अपने सीप्ज-सेज डिवीजन के (हीरे जड़ित आभूषणों के निर्माण और निर्यात का) व्यवसाय को क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड (अंतरिती) में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। क्रिएशन ज्वेलरी द्वारा, विदेशी/खुदरा क्षेत्र में अच्छी तरह से स्थापित विदेशी कंपनियों से भागीदारी को आमंत्रित करके, उनके व्यापक पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत अपने उत्पादों के निर्माण के लिए एक गठजोड़ किया गया है और इसलिए, अंतरिती की स्थापना की गई है जिसमें विदेशी प्रतिभागी पूंजी में निवेश कर सकते हैं। इसलिए मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II को मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट I और यूनिट - II में शेयरधारिता पैटर्न के साथ निदेशकों में बदलाव और व्यापार हस्तांतरण करार करने का निर्णय लिया है।

The unit submitted the application for Change of Entrepreneurship and transfer of assets and liabilities of M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit - I & II into M/s. Creation Gems & Jewellery Private Limited Unit I & Unit - II. They have informed that Creations Jewellery Mfg. Pvt. Ltd (the Transferor) has decided to Transfer their SEEPZ SEZ division business (of Manufacture and export of diamond studded jewellery) to Creations Gems & Jewellery Pvt. Ltd. (the Transferee) for the purpose of expanding the growth of Creations Jewellery, by inviting participation from well-established overseas companies in the overseas/retail sector to have a tie-up for manufacturing their products under their Broad supervision and guidance and therefore, setting up the Transferee wherein the foreign participants can invest in the capital and therefore M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit - I & II into M/s. Creation Gems & Jewellery Private Limited Unit I & Unit - II with Change in the Directors and shareholding pattern on business transfer agreement.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने उद्यमिता में बदलाव और मेसर्स क्रिएशन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यूनिट - I और II की संपत्तियों और देनदारियों को सेज नियम, 2006 के नियम 19(2) के संदर्भ में, सेज नियम, 2006 के नियम 74 ए के साथ पठित के आधार पर मेसर्स क्रिएशन जेम्स एंड ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट I और यूनिट - II में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

**Decision:** After deliberation, the Committee approved the proposal for Change in Entrepreneur and transfer of assets and liabilities of M/s. Creation Jewellery Mfg. Pvt. Ltd Unit - I & II into M/s. Creation Gems & Jewellery Private Limited Unit I & Unit - II in terms of Rule 19 (2) of the SEZ Rules 2006 read with Rule 74 A of SEZ Rules 2006.

**कार्यसूची मद सं. 03:** क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक गतिविधि की व्यापक बैंडिंग के लिए मेसर्स आशिर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ।

**Agenda Item No. 03 :** Application received from M/s. Ashir Services Pvt. Ltd for broad banding of trading activity with Capacity Enhancement.

यूनिट ने 3 साल की शेष अवधि यानी 2023-24 से 2025-26 के लिए संशोधित अनुमान के साथ क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक गतिविधि के ब्रॉड बैंडिंग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और कार्यसूची के अनुसार व्यापारिक गतिविधि के लिए प्रस्तावित वस्तुओं का विवरण निम्नानुसार है:

The unit submitted the application for broad banding of trading activity with Capacity Enhancement with revised projection for remaining period of 3 years i.e. 2023-24 to 2025-26 and the details of proposed items for trading activity as per agenda as under :

उन्होंने बताया है कि अनुमोदन समिति के निर्देशों के अनुसार वे मौजूदा सूची से एक आइटम यानी 'हॉलमार्किंग' हटा देंगे और उन्होंने क्षमता वृद्धि के साथ व्यापारिक गतिविधि के लिए भी अनुरोध किया है।

They have conveyed that as per directions of Approval Committee they would delete ONE item from the existing list i.e. 'HALLMARKING' and they have also requested for trading activity with capacity enhancement.

सेवा गतिविधि की मौजूदा अनुमोदित मदें :-

**EXISTING APPROVED ITEMS OF SERVICE ACTIVITY :-**

क्रमांक Sr. No.	वस्तुओं का विवरण Description of the items	स्वीकृत क्षमता (नग) Approved Capacity (Pieces)
01	एसेइंग, हॉलमार्किंग, स्टैमिंग, प्लेटिंग, परीक्षण आदि Assaying, Hallmarking, Stamping, Plating, Testing etc	214000.00

ट्रेडिंग गतिविधि के लिए प्रस्तावित ब्रॉड बैंडिंग आइटम :-

**PROPOSED BROAD BANDING ITEM FOR TRADING ACTIVITY :-**

क्रमांक, Sr. No	वस्तुओं का विवरण Description of the items	प्रस्तावित क्षमता Proposed Capacity	प्रस्तावित क्षमता Proposed Capacity	आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण ITC (HS) Classification
01	एसेइंग, स्टैमिंग, प्लेटिंग, परीक्षण आदि Assaying, Stamping, Plating, Testing etc	नग Pieces	200000.00	7113
02	सोने की ढलाई, चांदी के आभूषण, सोने की खोज, सोने की चेन, प्लैटिनम आभूषण Gold Casting, Silver Jewellery, Gold Findings, Gold Chains, Platinum Jewellery	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	1363640	7113
03	आभूषण बनाने में विभिन्न मिश्रधातुओं का उपयोग Various alloy used in Jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	200.00	7113
04	आभूषण बनाने में प्रयुक्त बहुमूल्य धातु (चांदी और प्लैटिनम) का पता लगाना Precious Metal finding used in jewellery making (Silver & Platinum)	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	200.00	7113
05	आभूषण बनाने में प्रयुक्त मशीनरी और पुर्जे Machinery and Spares used in jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	50.00	7113
06	उत्कीर्णन या बनाने की मशीन और उसके घटक और स्पेयर पार्ट्स Engraving or making machine and its components & spares parts	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	50.00	7113
07	आभूषण बनाने में उपयोग किए जाने वाले गैर खतरनाक रसायन (रोडियम, सोना और चांदी की प्लेटिंग करने के लिए) Non Hazardous chemicals used in jewellery making (Rhodium, Gold & silver Plating Solution)	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	4539375.00	7113
08	आभूषण निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार के वैक्स All types of wax used in jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	25.00	7113

*[Handwritten signature]*

09	आभूषण निर्माण में प्रयुक्त सभी प्रकार के निवेश पाउडर All types of investment powder used in jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	75.00	7113
10	आभूषण बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार के फाइलिंग और पॉलिशिंग उपकरण और सहायक उपकरण All types of filing & polishing tools and accessories required for jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
11	आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के हाथ के उपकरण All types of hand tools used for jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
12	आभूषण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के सिलिकॉन रबर और अन्य टब्रर All types of Silicone rubber and other tubber used for jewellery making	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
13	एनविजन्टेक उपभोग्य वस्तुएं जैसे रेजिन, लैंप, ट्रे, फिल्टर Envisiontec consumables such as resin, lamps, trays, filters	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	15.00	7113
14	एनविजन्टेक रैपिड प्रोटोटाइपिंग मशीन और उसके घटक Envisiontec rapid prototyping machine and its components	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	25.00	7113
15	असेंबली और मरम्मत के लिए आवश्यक वजन तराजू के घटक और स्पेयर पार्ट्स Weighting scales components and spares parts required for assembly & Repairing	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	10.00	7113
16	आभूषण बनाने, घटकों और सप्रे भागों में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल वजन तराजू Digital Weighting scales used in jewellery making, components and sapre parts	अमेरिकी डॉलर \$ U S Dollar \$	25.00	7113
17	आभूषण निर्माण के लिए कीमती धातु आधारित मिश्र धातु Precious metal based alloy for jewellery mfg	संख्या Nos	80.00	7113
18	आभूषण निर्माण के लिए गैर-कीमती धातु आधारित मिश्र धातु Non-precious metal based alloy for jewellery mfg	संख्या Nos	75.00	7113
19	सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम ज्वेलर के निर्माण के लिए कीमती धातु युक्त सोल्डर Solder containing Precious metal for mfg of Gold, Silver, Platinum & Palladium Jeweler	संख्या Nos	80.00	7113

20	सोना, चांदी, प्लैटिनम और पैलेडियम ज्वेलर के निर्माण के लिए गैर-कीमती धातु युक्त सोल्डर er containing Non-Precious metal for mfg of Gold, Silver, Platinum & Palladium Jeweler	संख्या Nos	75.00	7113
21	कीमती धातुओं की फिटिंग और फाइंडिंग, शीट, तार और ट्यूब Fitting & Findings, sheets, wires and Tubes of Precious Metals	संख्या Nos	90.00	7113
22	कीमती धातुओं की स्थापना Mounting of Precious Metals	संख्या Nos	85.00	7113
23	कीमती धातु के चेन Precious Metal Chains	संख्या Nos	100.00	7113
24	अर्ध-तैयार उत्पाद शीट Semi Finished Products Sheet	संख्या Nos	70.00	7113
25	अर्ध-तैयार उत्पाद तार Semi Finished Products Wire	संख्या Nos	70.00	7113
26	अर्ध-तैयार उत्पाद ट्यूब Semi Finished Products Tube	संख्या Nos	70.00	7113
27	प्लैटिनम चढ़ाने वाले रसायन Platinum Plating Chemicals	ग्राम Grams	5000.00	7112
28	पैलेडियम चढ़ाने वाले रसायन Palladium Plating Chemicals	ग्राम Grams	3000.00	7110
29	रूथेनियम चढ़ाने वाले रसायन Ruthenium Plating Chemicals	ग्राम Grams	2000.00	7110
30	कांस्य चढ़ाने वाले रसायन Bronze Plating Chemicals	ग्राम Grams	7000.00	7409
31	एंटी-टर्निश रसायन Anti-tarnish Chemicals	ग्राम Grams	1000.00	8479
32	कीमती धातु स्ट्रिपर्स Precious Metal Strippers	ग्राम Grams	2500.00	8448
33	एनोड Anodes	ग्राम Grams	500.00	7402
34	बहुमूल्य मेटल साल्ट Precious Metal Salts	ग्राम Grams	3500.00	3815
35	सोना और कीमती धातु पुनर्प्राप्ति संयंत्र और रसायन/रेजिन Gold & Precious Metal recovery plants & Chemicals/ resins	ग्राम Grams	50.00	7112
36	पूर्व सफाई रसायन Pre-cleaning chemicals	ग्राम Grams	1200.00	8421
37	इलेक्ट्रोप्लेटिंग मशीनें एवं पुर्जें Electroplating machines & spares	ग्राम Grams	150.00	8543
38	रेक्टिफायर्स Rectifiers	ग्राम Grams	150.00	8504

2021-2022

निर्णय:

विचार-विमर्श के बाद, समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19 (2) के प्रावधान के अनुसार क्षमता वृद्धि और 2023-24 से 2025-26 की शेष अवधि के लिए अनुमान के संशोधन के साथ व्यापार गतिविधि के ब्रॉडबैंडिंग के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

Decision:

After deliberation, the Committee approved the proposal for broad banding of trading activity with Capacity Enhancement and revision of projection for remaining period of 3 years i.e. 2023-24 to 2025-26 in terms of proviso of Rule 19 (2) of SEZ Rules, 2006.

समिति ने इकाई को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी रूप में सराफा की व्यापारिक गतिविधि केवल SEEPZ-SEZ के भीतर ही स्वीकार्य है।

The Committee also directed to the unit that the trading activity of bullion in any form is permissible only within the SEEPZ-SEZ.

कार्यसूची मद सं. 4: तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति के लिए मेसर्स शिमायरा ज्वेलरी से आवेदन प्राप्त हुआ।

Agenda Item No. 4: Application received from M/s. Shimayra Jewellery for permission for Third Party Repair.

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

The unit submitted application for permission for Third Party Repair as per the details given in agenda.



**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र और दिनांक 26.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया और समिति ने निर्दिष्ट अधिकारी, एसईपीजेड-एसईजेड को निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के संदर्भ में तृतीय पक्ष मरम्मत के संबंध में तैयार किए गए कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

**Decision:** After deliberation, the Committee approved the proposal for Third Party Repair subject to compliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 read with Public Notice no. 01/2010 dated 08.04.2010 and a corrigendum to that effect on 26.04.2010 and Committee also directed Specified Officer, SEEPZ-SEZ to furnish a report on the devised implementation w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03.2010.

- i. वस्तुओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के उद्देश्य से होगा।
- ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी।
- iii. मरम्मत आवंटित परिसर के भीतर की जाएगी।
- iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः निर्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण सीमा शुल्क को दिया जाएगा।
- v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्यात के समय सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जाएगी।
- vi. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमित रहेगी।
- vii. सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
- viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।

- i. The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export only.
- ii. The basic identity of the jewellery imported shall not change.
- iii. The repairs will be carried out within the allotted premises
- iv. Proper detailed description of the jewellery to be imported for repairs and eventually exported shall be given to the Customs.
- v. 100% examination shall be carried by SEEPZ Customs at the time of imports as well as exports of the same to establish identity
- vi. The activity will be restricted to 5% of previous year FOB value of export in respect of LOA dated 25.03.2008.
- vii. The provisions of SEZ Act, Rules and order made thereunder shall be complied.
- viii. The permission granted will be subject to review.

**कार्यसूची मद सं. 5:** तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति के लिए मेसर्स नेसा ज्वेलरी लिमिटेड (यूनिट- II) से प्राप्त आवेदन

**Agenda Item No. 5:** Application received from M/s. Neysa Jewellery Limited (Unit-II) for permission for Third Party Repair

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।

The unit submitted application for permission for Third Party Repair as per the details given in agenda.



निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांकित के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08-04-2010 से इस आशय का शुद्धिपत्र जारी किया था और समिति ने निम्नलिखित निदेश भी दिए थे -

Decision: After deliberation, the Committee approved the proposal for Third Party Repair subject to compliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 read with Public Notice no. 01/2010 dated 08.04.2010 and a corrigendum to that effect on 26.04.2010 and Committee also directed to :

- विनिर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड-एसईजेड निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के संदर्भ में तीसरे पक्ष की मरम्मत के संबंध में तैयार कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए।
- Specified Officer, SEEPZ-SEZ to furnish a report on the devised implementation w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03.2010.
- बकाया देय राशि के भुगतान पर ही अनुमोदन पत्र प्रदान करें।
- Grant approval letter only on clearance of outstanding dues.
- i. वस्तुओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के उद्देश्य से होगा।
- The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export only.
- ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी।
- The basic identity of the jewellery imported shall not change.
- iii. मरम्मत आवंटित परिसर के भीतर की जाएगी
- The repairs will be carried out within the allotted premises
- iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः निर्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण सीमा शुल्क को दिया जाएगा।
- Proper detailed description of the jewellery to be imported for repairs and eventually exported shall be given to the Customs.
- v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्यात के समय सीप्ल सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जाएगी।
- 100% examination shall be carried by SEEPZ Customs at the time of imports as well as exports of the same to establish identity
- vi. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमित रहेगी।
- The activity will be restricted to 5% of previous year FOB value of export in respect of LOA dated 25.03.2008.
- vii. सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
- The provisions of SEZ Act, Rules and order made thereunder shall be complied.
- viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।
- The permission granted will be subject to review.

कार्यसूची मद सं. 6: तीसरे पक्ष की मरम्मत की अनुमति के लिए मेसर्स लक्जरी ज्वेलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन

Agenda Item No. 6: Application received from M/s. Luxury Jewelry (India) Private Limited for permission for Third Party Repair

यूनिट ने एजेंडे में दिए गए विवरण के अनुसार तीसरे पक्ष की मरम्मत के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। The unit submitted application for permission for Third Party Repair as per the details given in agenda.

- |  |   |
|--|---|
| <p>i. वस्तुओं का आयात केवल मरम्मत और पुनः निर्यात के उद्देश्य से होगा।</p> <p>ii. आयातित आभूषणों की मूल पहचान नहीं बदलेगी।</p> <p>iii. मरम्मत आर्बिट्रि परिसर के भीतर की जाएगी</p> <p>iv. मरम्मत के लिए आयात किए जाने वाले और अंततः निर्यात किए जाने वाले आभूषणों का उचित विस्तृत विवरण सीमा शुल्क को दिया जाएगा।</p> <p>v. पहचान स्थापित करने के लिए आयात के साथ-साथ निर्यात के समय सीपज़ सीमा शुल्क द्वारा 100% जांच की जाएगी।</p> <p>vi. गतिविधि दिनांक 25.03.2008 के एलओए के संबंध में निर्यात के पिछले वर्ष के एफओबी मूल्य के 5% तक सीमित रहेगी।</p> <p>vii. सेज़ अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और उसके तहत बनाए गए आदेश का अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>viii. दी गई अनुमति समीक्षा के अधीन होगी।</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• The import of the items will only be for the purpose of repairs and re-export only.</li> <li>• The basic identity of the jewellery imported shall not change.</li> <li>• The repairs will be carried out within the allotted premises</li> <li>• Proper detailed description of the jewellery to be imported for repairs and eventually exported shall be given to the Customs.</li> <li>• 100% examination shall be carried by SEEPZ Customs at the time of imports as well as exports of the same to establish identity</li> <li>• The activity will be restricted to 5% of previous year FOB value of export in respect of LOA dated 25.03.2008.</li> <li>• The provisions of SEZ Act, Rules and order made thereunder shall be complied.</li> <li>• The permission granted will be subject to review.</li> </ul> |
|--|---|

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के अनुपालन के अधीन तीसरे पक्ष की मरम्मत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 01/2010 दिनांकित सार्वजनिक सूचना संख्या 01/2010 के साथ पढ़ा गया। समिति ने दिनांक 08.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र और दिनांक 26.04.2010 को इस आशय का शुद्धिपत्र प्रस्तुत किया और समिति ने विनिर्दिष्ट अधिकारी, एसईईपीजेड-एसईजेड को निर्देश संख्या 51 दिनांक 25.03.2010 के संदर्भ में तृतीय पक्ष मरम्मत के संबंध में तैयार किए गए कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

**Decision:** After deliberation, the Committee approved the proposal for Third Party Repair subject to compliance of Instruction no. 51 dated. 25.03.2010 read with Public Notice no. 01/2010 dated. 08.04.2010 and a corrigendum to that effect on 26.04.2010 and Committee also directed Specified Officer, SEEPZ-S to furnish a report on the devised implementation w.r.t. Third Party Repair in terms of Instruction No. 51 dated 25.03.2010.

**कार्यसूची मद सं. 7:** मेसर्स जिनाई ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन

**Agenda Item No. 7 : Application received for Change in Board of Directors and Shareholding Pattern of M/s. Jinai Jewels Private Limited**

मेसर्स जिनाई ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के लिए आवेदन जमा किया था और विवरण इस प्रकार हैं:

M/s. Jinai Jewels Private Limited had submitted the application for Change in Shareholding Pattern of the company and the details are as follows:



निदेशकों की सूची  
LIST OF DIRECTORS

क्रमांक Sr. No	निदेशकों का नाम (तत्कालीन) Name of Directors (Erst while)	पदनाम Designation	क्रमांक Sr. No	निदेशकों का नाम (वर्तमान) Name of Directors (Current)	पदनाम Designation
1	श्री पराग नवीन भाई शाह Mr. Parag Navn Bhai Shah	पूर्णकालिक निदेशक Whole time Director	1	श्री नरेश मंगनमल साधवानी Mr. Naresh Mangannal Sadhwani	पूर्णकालिक निदेशक Whole time Director
2	श्रीमती प्रियाल पराग शाह Mrs. Priyal Parag Shah	प्रबंध निदेशक Managing Director	2	श्री ईशान नरेश साधवानी Mr. Ishan Naresh Sadhwani	प्रबंध निदेशक Managing Director
			3	श्रीमती प्रियाल पराग शाह Mrs. Priyal Parag Shah	निदेशक Director

पूर्व-शेयरधारिता पैटर्न  
PRE-SHAREHOLDING PATTERN

क्रमांक. Sr. No.	शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन Change of Shareholding Pattern	रुपये के शेयरों की संख्या 10/- प्रत्येक No. of Shares of Rs. 10/- each	शेयरधारिता पैटर्न का % % of Shareholding Pattern	कीमत Value
1.	श्री पराग नवीन भाई शाह Mr. Parag Navn Bhai Shah	1319900	87.99%	1,31,99,000
2.	श्रीमती प्रियाल पराग शाह Mrs. Priyal Parag Shah	180100	12.01%	18,01,000
	कुल Total	1500000	100.00%	1,50,00,000

शेयरधारिता के बाद का पैटर्न  
POST-SHAREHOLDING PATTERN

क्रमांक Sr. No.	शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन Change of Shareholding Pattern	रुपये के शेयरों की संख्या 10/- प्रत्येक No. of Shares of Rs. 10/- each	शेयरधारिता पैटर्न का % % of Shareholding Pattern	कीमत Value
1.	श्री नरेश मंगनमल साधवानी Mr. Naresh Mangannal Sadhwani	1319900	87.99%	1,31,99,000
2.	श्री ईशान नरेश साधवानी Mr. Ishan Naresh Sadhwani	180100	12.01%	18,01,000
	कुल Total	1500000	100.00%	1,50,00,000

*(Handwritten Signature)*

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने युनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का पालन करने का भी निर्देश दिया।

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

**Decision :** After deliberation, the Committee approved the proposal for Change in Shareholding Pattern of the company in terms of Instruction no 109, dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the unit to comply with following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021 :

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfilment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownership etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

**कार्यसूची मद सं. 08:** कंपनी के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए मेसर्स सुपरजेम्स ज्वेलरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त आवेदन


**Agenda Item No. 8:** Application received from M/s. Supergems Jewellery Manufacturing Pvt. Ltd for Change in Board of Directors and Shareholding Pattern of the Company

मेसर्स. सुपरजेम्स ज्वेलरी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। विवरण इस प्रकार है:

M/s. Supergems Jewellery Manufacturing Pvt. Ltd had submitted the application for change of Board of Directors and Shareholding Pattern of the Company. The details are as follow :

परिवर्तन पूर्व निदेशकों की सूची

List of Directors Pre Changes



क्रमांक Sr. No.	निदेशको का नाम Name of Directors	पता Address	डिन नंबर DIN No.	जन्म तारीख Date of Birth	पैन नंबर PAN NO.
1	श्री निखिलकुमार अम्बालाल शाह Mr. Nikhilkumar Ambalal Shah	शांति निवास, तीसरा तल, 269, देवधर रोड, माटुंगा (सी.आर.), मुंबई-400019 Shanti Niwas, 3 <sup>rd</sup> Floor, 269, Deodhar Road, Matunga (C.R.), Mumbai-400019	00142223	15.02.1938	ANIPS2043N
2	श्री अनुज प्रबोध शाह Mr. Anuj Prabodh Shah	10, बीच व्यू, चौथा तल, चौपाटी सीफेस, मुंबई-400007 10, Beach View, 4 <sup>th</sup> Floor, Chowpatty Seaface, Mumbai-400007	00152565	14.07.1974	ALTPS3529E
3	श्री परेश हीरालाल शाह Mr. Paresh Hiralal Shah	फ्लैट नंबर 20, 5वां तल, आकाशदीप रोड, मालाबार हिल, मुंबई-400006, महाराष्ट्र, भारत Flat No.20, 5 <sup>th</sup> Floor, Akashdeep Road, Malabar Hill, Mumbai-400006, Maharashtra, India	06430319	05.04.1966	AMYPS7529Q

परिवर्तन के बाद निदेशकों की सूची

List of Directors Post Changes

क्रमांक Sr. No.	निदेशको का नाम Name of Directors	पता Address	डिन नंबर DIN No.	जन्म तारीख Date of Birth	पैन नंबर PAN NO.
1	श्री अनुज प्रबोध शाह Mr. Anuj Prabodh Shah	10, बीच व्यू, चौथा तल, चौपाटी सीफेस, मुंबई-400007 10, Beach View, 4 <sup>th</sup> Floor, Chowpatty Seaface, Mumbai-400007	00152565	14.07.1974	ALTPS3529E

2	श्री परेश हीरालाल शाह Mr. Paresh Hir alal Shah	फ्लैट नंबर 20, 5वा तल, आकाशदीप रोड, मालाबार हिल, मुंबई- 400006, महाराष्ट्र, भारत  Flat No.20, 5 <sup>th</sup> Floor, Akashde ep Road, Mala bar Hill, Mumb ai-400006, Mah arashtra, India	06430319	05.04.1966	AMYP57529Q
3	श्री दर्शक जयेश शाह Mr. Darshak Ja yesh Shah	ए-206, श्री शक्ति कॉ म्प्लेक्स, एस.वी. रोड दहिसर पूर्व, मानव क ल्याण केंद्र के पास, मुं बई-400068  A-206, Shi Sha kti Complex, S. V. Road Dahisa r East, near Ma nav Kalyan Ken dra, Mumbai-40 0068	07935634	15.03.1983	BDOPS2315A
4	निकुंज भरत कुमार घी वाला Nikunj BharatK umar Gheewala	54-बी, फणसवाड़ी, ग ौरक्षक चॉल, आर नंबर 23-24, मुंबई-4 00002  54-B, Fanaswad i, Gaurakshak Chawl, R No.23 -24, Mumbai-40 0002	07761916	10.03.1980	AEMPG0155N
दिनांक 31.03.2023 को शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में पूर्व परिवर्तन Share holding pattern as on 31.03.2023 i.e. Pre Change in the Shareholding pattern					

शेयरधारकों का नाम Name of Share Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों की दर Rate/Sh.	राशि रुपये में Amount in Rs.
<u>इक्विटी शेयर पूंजी</u> Equity Share Capital			
श्री निखिलकुमार ए शाह (01-99) Mr. Nikhilkumar A Shah(01-99)	99	10	990
श्री परेश एच शाह (100-100) Mr. Paresh H Shah (100-100)	1	10	10
श्री राजेश वी मेहता (एनआरआई) (101-10200) Mr. Rajesh V Mehta (NRI) (101-10200)	10100	10	1,01,000
सुपर जेम्स (आई) प्रा. लिमिटेड- भारत (10201-5308755) Supergems (I) Pvt. Ltd- India (10201-5308755)	52,98,555	10	5,29,85,550
कुल Total	53,08,755		5,30,87,550

दिनांक 10.08.2023 को शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी शेयरहोल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन के बाद  
Share holding pattern as on 10.08.2023 i.e. Post Change in the Shareholding pattern

शेयरधारकों का नाम Name of Share Holders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयरों की दर Rate/Sh.	राशि रुपये में Amount in Rs.
<u>इक्विटी शेयर पूंजी</u> Equity Share Capital			
श्री परेश एच शाह (01-99) Mr. Paresh H Shah (01-99)	99	10	990
श्री परेश एच शाह (100-100) Mr. Paresh H Shah (100-100)	1	10	10
श्री राजेश वी मेहता (एनआरआई) (101-10200) Mr. Rajesh V Mehta (NRI) (101-10200)	10100	10	1,01,000
सुपरजेम्स (आई) प्रा. लिमिटेड- भारत (10201-5308755) Supergems (I) Pvt. Ltd- India (10201-5308755)	52,98,555	10	5,29,85,550
कुल	53,08,755		5,30,87,550

*Handwritten signature*

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल और शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:-

Decision: After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for change of Board of Directors and Shareholding Pattern of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समांमेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू होगा।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.





**कार्यसूची मद सं. 09: भागीदारों के लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव के लिए मेसर्स एचके डिज़ाइन्स (इंडिया) एलएलपी का आवेदन** **Agenda Item No. 09 : Application of M/s. H. K. Designs (India) LLP for Change in Profit sharing ratio of Partners.**

मेसर्स एचके. डिज़ाइन्स (इंडिया) एलएलपी ने भागीदारों के लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। कंपनी के साझेदारों के लाभ साझाकरण अनुपात का विवरण इस प्रकार है: M/s. H.K. Designs (India) LLP had submitted the application for Change in Profit sharing ratio of Partners. The details of in Profit sharing ratio of Partners of the Company are as under:

**क) पहले और बाद में लाभ विभाजन अनुपात का विवरण**

**Details of Pre & Post profit sharing ratio :-**

क्रमांक Sr. No.	भागीदारों के नाम Name of Partners	शेयरों का % % Shares	क्रमांक Sr.No.	भागीदारों के नाम Name of Partners	शेयरों का % % Shares
1	श्री. सावजीभाई डी. ढोलकिया Shri. Savjibhai D. Dholakia	22%	1.	श्री. सावजीभाई डी. ढोलकिया Shri. Savjibhai D. Dholakia	34%
2	श्री. -घनश्यामभाई डी. ढोलकिया Shri. Ghanshyambhai D. Dholakia	21%	2.	श्री. -घनश्यामभाई डी. ढोलकिया Shri. Ghanshyambhai D. Dholakia	33%
3	श्री. हसमुखभाई ठाकरशीभाई ढोलकिया - प्रतिनिधि हरि कृष्ण एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड Shri. Hasmukhbhai Thakarshibhai Dholakia-Rep. Hari Kirshna Export Pvt. Ltd.	51%	3.	श्री. हसमुखभाई ठाकरशीभाई ढोलकिया - प्रतिनिधि हरि कृष्ण एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड Shri. Hasmukhbhai Thakarshibhai Dholakia-Rep. Hari Kirshna Export Pvt. Ltd.	26%
4	श्री. पिंटू तुलसीभाई ढोलकिया Shri. Pintu Tulsibhai Dholakia	2%	4.	श्री. पिंटू तुलसीभाई ढोलकिया Shri. Pintu Tulsibhai Dholakia	3%
5	श्री. पराग ए शाह Shri. Parag A. Shah	4%	5.	श्री. पराग ए शाह Shri. Parag A. Shah	4%
कुल		100%	कुल		100%

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के लाभ साझाकरण अनुपात में बदलाव के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:-

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईज़ गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पै न और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

**Decision :** After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change in profit Sharing ratio of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger/demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद सं. 10: कंपनी के संविधान को मेसर्स अरीना ज्वैलरी से मेसर्स अरीना ज्वैलरी एलएलपी में बदलने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

मेसर्स अरीना ज्वैलरी ने कंपनी के संविधान को मेसर्स अरीना ज्वैलरी से मेसर्स अरीना ज्वैलरी एलएलपी में बदलने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था और बताया था कि कंपनी के संविधान में बदलाव के कारण इस प्रकार हैं:

**Agenda Item No. 10 : Application received for Change of the company constitution from M/s Arina Jewellery to M/s. Arina Jewellery LLP.**

M/s Arina Jewellery had submitted the application for Change of the company constitution from M/s Arina Jewellery to M/s. Arina Jewellery LLP. They have informed that the reasons of change of constitution of the company are as under:

1) फंडिंग के अवसरों तक पहुंच: एलएलपी के रूप में काम करने से बाहरी निवेश आकर्षित करने और सुरक्षित वित्तपोषण की उनकी क्षमता बढ़ सकती है।

विशिष्ट कानूनी संरचना और सीमित देयता स्थिति अक्सर एलएलपी को संभावित निवेशकों और उधारदाताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।

2) सीपज़ में उनकी स्थापित उपस्थिति और घरेलू बाजार में विस्तार के आलोक में, एलएलपी में परिवर्तन उभरते व्यावसायिक परिदृश्यों के अनुकूल होने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की उनकी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह कदम विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय विवेकशीलता सुनिश्चित करने और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अरीना ज्वेलरी की स्थिति को मजबूत करने के प्रति उन के समर्पण का संकेत है।

3) कंपनी के भागीदार और उसके लाभ साझाकरण अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा।

1. Access to Funding Opportunities: Operating as an LLP may enhance their ability to attract external investments and secure financing. The distinct legal structure and limited liability status often make LLPs more appealing to potential investors and lenders.
2. In light of their established presence in SEEPZ and the expansion into the domestic market, the transition to an LLP aligns with their commitment to adapt to evolving business landscapes and enhance their competitiveness. This move is indicative of their dedication to fostering growth, ensuring financial prudence, and fortifying Arina Jewellery's position in both local and international markets.
3. There will be no change in the Partners & his profit Sharing ratio of the company.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I के दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी के संविधान को मेसर्स अरीना ज्वेलरी से मेसर्स अरीना ज्वेलरी एलएलपी में बदलने के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:-

**Decision :** After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Change of the company constitution from M/s Arina Jewellery to M/s. Arina Jewellery LLP of the Company in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:-

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामलो/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू होगा।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।

1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger/demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद सं. 11: कंपनी का नाम मेसर्स चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ।

**Agenda Item No. 11 :** Application received for Change of the Company name from M/s. Cherokee India Private Limited to M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited.

मेसर्स चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कंपनी का नाम मेसर्स चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए आवेदन दिया था। कंपनी के परिवर्तित नाम का विवरण इस प्रकार है:

M/s. Cherokee India Private Limited had submitted the application to Change Name of the Company from M/s. Cherokee India Private Limited to M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited. The details of in Change Name of the Company are as under:

कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में निदेशकों का विवरण :

DETAILS OF DIRECTORS BEFORE AND AFTER OF CHANGE OF COMPANY NAME

क्रमांक Sr. No.	मेसर्स चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान निदेशकों की सूची List of existing Directors of M/s. Cherokee India Private Limited.	मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्तावित निदेशकों की सूची Propose Proposed Directors of M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited.
1	निदेशकों के नाम से पहले Before Name of the Directors	पदनाम Designation
2	निदेशकों के नाम के बाद After Name of the Directors	पदनाम Designation
2	श्री प्रकाशकुमार रामभाई पटेल Mr. Prakashkumar Rambhai Patel	प्रबंध निदेशक Managing Directors
3	श्री दिनेश श्रीनिवास कोटियन Mr. Dinesh Shrinivas Kotian	पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Directors
		श्री प्रकाशकुमार रामभाई पटेल Mr. Prakashkumar Rambhai Patel
		श्री दिनेश श्रीनिवास कोटियन Mr. Dinesh Shrinivas Kotian
		प्रबंध निदेशक Managing Directors
		पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Directors

कंपनी का नाम बदलने से पहले और बाद में शेयरधारिता पैटर्न का विवरण


DETAILS OF SHAREHOLDING PATTERN BEFORE AND AFTER CHANGE OF THE COMPANY NAME

मेसर्स चैरोकी इंडिया, प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न से पहले Before Shareholding Pattern of M /s. Cherokee India, Private Limited		मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बाद After Shareholding Pattern of M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited.	
व्यक्ति का नाम Name of Person	% शेयर % Shares	व्यक्ति का नाम Name of Person	% शेयर % Shares
ओमनियन पावर इंक. Omnion Power Inc.	99.95 %	ओमनियन पावर इंक.	99.95 %
प्रकाशकुमार पटेल Prakashkumar Patel	0.05	प्रकाशकुमार पटेल	0.05
To कुल	100 %	T कुल	100 %

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने MOC&I दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के अनुसार कंपनी का नाम मेसर्स चैरोकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ओमनियन पावर मुंबई प्राइवेट लिमिटेड में बदलने के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा, समिति ने यूनिट को दिनांक 18.10.2021 के निर्देश संख्या 109 के संदर्भ में निम्नलिखित सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया:-

**Decision :** After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit to Change Name of the Company from M/s. Cherokee India Private Limited into M/s. Omnion Power Mumbai Private Limited in terms of MOC&I Instruction no. 109 dated 18.10.2021. Further, the Committee also directed the Unit to comply with the following safeguards in terms of Instruction no. 109, dated 18.10.2021:

1. परिवर्तित यूनिट के लिए अपरिवर्तित जिम्मेदारियों और दायित्वों के साथ एसईजेड गतिविधियों की निर्बाध निरंतरता।
2. परिवर्तित यूनिट और उसके घटकों द्वारा सुरक्षा मंजूरी आदि सहित लागू सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करना।
3. सभी राजस्व/कंपनी मामले/सेबी आदि अधिनियमों/नियमों की प्रयोज्यता और अनुपालन जो पूंजीगत लाभ, इक्विटी परिवर्तन, हस्तांतरण, कर योग्यता आदि जैसे मुद्दों को विनियमित करते हैं।
4. इक्विटी/विलय, विभाजन, समामेलन या स्वामित्व में स्थानांतरण आदि में परिवर्तन से संबंधित पूर्ण वित्तीय विवरण सदस्य (आईटी एंड आर), सीबीडीटी, राजस्व विभाग और क्षेत्राधिकार प्राधिकरण को तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा।
5. मूल्यांकन अधिकारी को इक्विटी के हस्तांतरण या विलय, विभाजन, एकीकरण, हस्तांतरण और स्वामित्व आदि से उत्पन्न लाभ/हानि की कर योग्यता का आकलन करने और आयकर अधिनियम, 1961 की प्रासंगिक धाराओं के तहत कटौती के लिए पात्रता का आकलन करने का अधिकार होगा।
6. आवेदक प्रासंगिक राज्य सरकार के कानूनों का पालन करेगा, जिसमें भूमि के पट्टे से संबंधित कानून भी शामिल हैं, जैसा लागू हो।
7. आवेदक को सीबीडीटी को पैन और यूनिट के क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
8. आवेदक को सभी अभिलेखों में नए नाम या ऐसी व्यवस्था से पहचाना जाएगा।



1. Seamless continuity of the SEZ activities with unaltered responsibilities and obligations for the altered entity.
2. Fulfillment of all eligibility criteria applicable, including security clearances etc, by the altered entity and its constituents.
3. Applicability of and compliance with all Revenue/Company Affairs/SEBI etc. Acts/Rules which regulate issues like capital gains, equity change, transfer, taxability etc.
4. Full financial details relating to change in equity/merger, demerger, amalgamation or transfer in ownerships etc. shall be furnished immediately to Member (IT&R), CBDT, Department of Revenue and to the jurisdictional Authority.
5. The Assessing Officer shall have the right to assess the taxability of the gain/loss arising out of the transfer of equity or merger demerger, amalgamation, transfer and ownerships etc. as may be applicable and eligibility for deduction under relevant sections of the Income Tax Act, 1961.
6. The applicant shall comply with relevant State Government laws, including those relating to lease of land, as applicable.
7. The applicant shall furnish details of PAN and jurisdictional assessing officer of the unit to CBDT.
8. The applicant shall be recognized by the new name or such arrangement in all the records.

कार्यसूची मद सं. 12: 2 वर्ष यानी 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए मेसर्स पोर्टेस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (स्टीपर मोटर्स) (एलओए-एचडब्ल्यू-14) के प्रदर्शन की निगरानी

Agenda Item No. 12: Monitoring of Performance of M/s. Portescap India Pvt. Ltd (Steeper Motors) (LOA-HW-14) for the period of 2 years i.e. 2020-21 & 2021-22

यूनिट ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21 & 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21 & 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

समिति ने यह भी निर्देश दिया:-

The Committee also directed :-  
The unit to clear the outstanding dues Rs. 39,89,743.21/-, at the earliest.

i) यूनिट को बकाया राशि रु. 39,89,743.21/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।

कार्यसूची मद सं. 13: 2 वर्ष यानी वर्ष 2020-21 और 2021-22 अवधि के लिए मेसर्स पोर्टेस्केप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (डीसी मोटर्स) (एलओए-590) के प्रदर्शन की निगरानी

Agenda Item No. 13: Monitoring of Performance of M/s. Portescap India Pvt. Ltd (DC Motors) (LOA-590) for the period of 2 years i.e. 2020-21 & 2021-22

यूनिट ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2020-21 & 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21 & 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21 & 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

समिति ने यह भी निर्देशित किया:-

The Committee also directed;-  
The unit to clear the outstanding dues Rs. 41,52,350.03/-at the earliest.

i) यूनिट को बकाया राशि रु. 41,52,350.03/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।

कार्यसूची मद सं. 14: 1 वर्ष यानी 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स ओमनिया ज्वेल्स एलएलपी के प्रदर्शन की निगरानी Agenda Item No. 14 : Monitoring of Performance of M/s. Omnia Jewels LLP for the period of 1 year i.e. 2022-23

The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

यूनिट ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

The Committee also directed; -

समिति ने यह भी निर्देशित किया:-

- i. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।
- ii. यूनिट को बकाया राशि रु. 1,35,662.93/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।

- i. The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2022-23.
- ii. The unit to clear the outstanding dues Rs. 1,35,662.93/- at the earliest.





कार्यसूची मद सं. 15: 2 वर्ष यानी 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए मेसर्स नाभि एंटरप्राइजेज के प्रदर्शन की निगरानी Agenda Item No. 15: Monitoring of Performance of M/s. Nabhi Enterprises for the period of 2 years i.e. 2020-21 & 2021-22

यूनिट ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2020-21 and 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2020-21 & 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2020-21 & 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

The Committee also directed; -

समिति ने यह भी निर्देशित किया:-

- i. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2020-21 और 2021-22 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।
- ii. यूनिट को दिनांक 18.01.2024 तक बकाया राशि रु. 1,63,201.96/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।
- i. The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22.
- ii. The unit to clear the outstanding dues Rs. 1,63,201.96/- as on 18.01.2024, at the earliest.

कार्यसूची मद सं. 16: 1 वर्ष यानी 2021-22 की अवधि के लिए मेसर्स केपी सांघवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी Agenda Item No. 16: Monitoring of Performance of M/s. KP Sanghvi International Private Limited for the period of 1 year i.e. 2021-22

यूनिट ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

**कार्यसूची मद सं. 17: 1 वर्ष यानी 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स केपी सांघवी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी**

यूनिट ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Agenda Item No. 17: Monitoring of Performance of M/s. KP Sanghvi International Private Limited for the period of 1 year i.e. 2022-23**

The unit has submitted the APR for the period 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006

**कार्यसूची मद सं. 18: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स सनज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी**

यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Agenda Item No. 18: Monitoring of Performance of M/s. Sunjewels Pvt. Ltd for the period of 2 years i.e. 2021-22 & 2022-23**

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 & 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 & 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 & 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

समिति ने यह भी निर्देशित किया:-

i. विनिर्दिष्ट अधिकारी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए एपीआर प्रस्तुत करने में देरी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू करेंगे।

ii. यूनिट को दिनांक 23.01.2024 तक बकाया राशि रु. 6,74,455.66/- का भुगतान यथाशीघ्र करना होगा।

The Committee also directed; -

i. The Specified Officer to initiate action for issuance of Show Cause notice for delay in submission of APR for the period 2021-22 & 2022-23.

The unit to clear the outstanding dues Rs. 6,74,455.66/- as on 23.01.2024, at the earliest.

**कार्यसूची मद सं. 19: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स ह्युरिक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी।** **Agenda Item No. 19 : Monitoring of Performance of M/s. Hurix Systems Private Limited for the period of 2 years i.e. 2021-22 & 2022-23.**

यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 & 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 & 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 & 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

**कार्यसूची मद सं. 20: 2 वर्ष यानी 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए मेसर्स गेस्विन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रदर्शन की निगरानी।** **Agenda Item No. 20 : Monitoring of Performance of M/s. Gesswein Trading Private Limited for the period of 2 years i.e. 2021-22 & 2022-23**

यूनिट ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित एपीआर प्रस्तुत कर दिया है। वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए निर्यात और आयात डेटा को एपीआर में उनके द्वारा प्रस्तुत डेटा के साथ क्रॉस सत्यापन के लिए एनएसडीएल से पुनर्प्राप्त किया गया था और इसे संतोषजनक पाया गया है।

The unit has submitted the APR for the period 2021-22 & 2022-23 duly certified by Chartered Accountant. The export and import data for the period 2021-22 & 2022-23 was retrieved from NSDL for cross verification with data submitted by them in the APR and same has been found satisfactory.

**निर्णय:** विचार-विमर्श के बाद, समिति ने वर्ष 2021-22 और 2022-23 की अवधि के लिए यूनिट के प्रदर्शन को नोट किया, क्योंकि यूनिट ने सेज़ नियम, 2006 के नियम 54 के संदर्भ में संचयी आधार पर सकारात्मक एनएफई हासिल किया था।

**Decision:** After deliberation, the Committee noted the performance of the unit for the period 2021-22 & 2022-23, as the unit had achieved positive NFE on cumulative basis in terms of Rule 54 of SEZ Rules 2006.

**तालिका कार्यसूची सं. 01: निर्यात अनुमानों में सुधार और एसडीएफ-1 से नेस्ट- 01 में स्थानांतरण के बाद आवंटित कुल क्षेत्र में सुधार के लिए प्राप्त आवेदन** **Table Agenda No. 01 : Application received for Rectification in the Export Projections and Total area allotted after re-location i.e. SDF-I to NEST- 01**

यूनिट ने निर्यात अनुमानों में सुधार और एसडीएफ-1 से नेस्ट- 01 में स्थानांतरण के बाद आवंटित कुल क्षेत्र लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।

The unit had submitted application for Rectification in the Export Projections and Total area allotted after re-location i.e. SDF-I to NEST- 01.

स्थानांतरित क्षेत्र (608.76 वर्ग मीटर) नेस्ट-01 पर प्रस्तावित अनुमान इस प्रकार हैं:

The Proposed Projections on re-location area (608.76 Sq. mtrs) NEST-01 are as under :

Sr. No.	नेस्ट-01 में प्रस्तावित पुनर्वास क्षेत्र (608.76 वर्ग मीटर) के लिए कुल अनुमान The Total Projection for Proposed relocation area (608.76 Sq. mtrs) in NEST-01	
	रु करोड़ में Rs. In Lakhs	अमेरिकी \$ '00 US\$'00

1.	निर्यात का एफओबी मूल्य FOB Value of Export	183727.00	229658.75
2.	मशीनरी का आयात Import of Machinery	1600.00	2000.00
3.	कच्चे माल और घटकों का आयात Import of Raw Material and Components	84148.00	105185.00
4.	अप्रयुक्त/प्रयुक्त, नए, टूटे हुए आभूषणों के पुनः निर्माण और पुनः निर्माण का आयात Import of re-making and remanufacturing unused/used, new, broken jewellery goods	2756.00	3445.00
5.	पुर्जों और उपभोग्य सामग्रियों का आयात Import of Spares and Consumables	140.00	175.00
6.	विदेशी सहयोगियों को लाभांश और लाभ का प्रत्यावर्तन Repatriation of dividends and profit to foreign collaborators	-	-
7.	रॉयल्टी Royalty	-	-
8.	तकनीकी जानकारी एकमुश्त शुल्क Lump sum know-how fee	-	-
9.	डिजाइन और ड्राइंग शुल्क Design and drawing fee	-	-
10.	विदेशी तकनीशियनों का भुगतान Payment of foreign technicians	-	-
11.	विदेशों में भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण पर भुगतान Payment on training of Indian Technicians abroad	-	-
12.	निर्यात/छूट विपणन व्यय आदि पर कमीशन Commission on export/discount mkting exps etc.	919.00	1148.75
13.	विदेश यात्रा Foreign Travel	184.00	230.00
14.	विदेशी वाणिज्यिक उधारों पर भुगतान की जाने वाली ब्याज राशि Amount of Interest to be paid on external Commercial borrowings	-	-
15.	आस्थगित भुगतान क्रेडिट पर भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि Amount of interest to be paid on deferred payment credit	-	-
16.	कोई अन्य भुगतान Any Other payment	460.00	575.00

	(विवरण निर्दिष्ट करें) , प्रदर्शनी, बैंक शुल्क, सदस्यता, LIVEX आदि) (specify details), Exhibition, Bank Charges, Subscription, LIVEX etc).	-	-
17.	कुल (2 से 16) Total (2 to 16)	90207.00	112758.75
18.	शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (1-17) Net Foreign Exchange Earnings (1-17)	93520.00	116900.00

निर्णय: विचार-विमर्श के बाद, समिति ने निर्यात अनुमानों में सुधार के लिए यूनिट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और 608.73 वर्ग मीटर के क्षेत्र को एसडीएफ-1 से नेस्ट- 01 में स्थानांतरित कर दिया।


**Decision:** After deliberation, the Committee approved the proposal of the unit for Rectification in the Export Projections and areas 608.73 Sq.mtrs on relocation i.e. SDF-I to NEST- 01

*बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।  
The meeting concluded with a vote of thanks to the chair.*

(राजेश कुमार मिश्रा, आईआरएस)

अध्यक्ष-सह-विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़

  
28.02.24

सी.पी.एस. चौहान / C.P.S. CHAUHAN

संयुक्त विकास आयुक्त

Joint Development Commissioner

सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र

SEEPZ Special Economic Zone

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

Govt. of India, Ministry of Commerce and Industry

अंधेरी (पूर्व), मुंबई-96 / Andheri (E), Mumbai - 96.

